







जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

गुण नं:- 66/2021

तारीखरजू:- 5/7/21

उनवान:- हसराम बनाम भरतबाई

दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
27/7	<p>वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग एवं स्थायी निषेधाज्ञा राज0टी0एक्ट, के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 13 .07. 2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>	<p>3257-70 5/7/21</p>
13.7.21	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर सि 5 की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा निवा. ने उपस्थित दर्ज की। प्रतिवादी नम्बर 11 सि 14 बापजूद सूचना उपस्थित नहीं की उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नम्बर 6 से 10 के सम्मन अदम लागू है। वादी वकील इसके नवीन प्रणिते पर पुनः सम्मन तलबाना पेश करें। वास्तु तपसी, वकालतनामा एवं जबाब पेश करें दिनांक 22.7.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>प्रतिवादी व 1. 17.5 की ओर से  13.7.21</p>
22.7.21	<p>वकुलाप उप०। पत्रावली गतानुसार दिनांक 13.8.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
13.8.21	<p>वादी वकील/ वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी... जयपुर... पत्रावली गतानुसार दिनांक..... 17.8.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>Not Presy</p>
17.8.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वादी वकील ने मुकदमा भागे नहीं चलेन का कथन कर Not-Press कर रखा जि</p> <p style="text-align: right;"></p>	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
 2021/37 ह सराम v/s भरतबाई
 दिनांक 66/2021 फर्द अहकाम

करने का कथन किया। वादी वकील द्वारा
 मुकदमा Not-Press किये जोन ले रखलिन
 किया जाता है। पत्रावली के लल्ल शुमार हेकर
 नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

(दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करौली